

**कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
जिला विदिशा (म.प्र.)**

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी  
बिन्दु क्रमांक – 1 अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य :-**

कृषकों को कृषि संबंधी तकनीकी सलाह देना, कृषि आदान सामग्री की व्यवस्था करवाना, भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधी विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कृषकों की समस्याओं का समाधान ।

**बिन्दु क्रमांक – 2 अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य :-**

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य निम्नानुसार है:-

क्र	अधिकारी / कर्मचारी	शक्तियाँ / कर्तव्य
1	नियंत्रण अधिकारी ( उप संचालक कृषि )	<b>शक्तियाँ :-</b> कृषि से संबंधित, जिले में संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यकलापों का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण । किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अन्तर्गत जिले को प्राप्त आवण्टन के आहरण एवं संवितरण का पूर्ण अधिकार । योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना । उर्वरक, बीज, कीटनाशक औषधियों के विक्रय लायसेंस जारी करना । <b>कर्तव्य :-</b> कृषि से संबंधित जिले में संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यकलापों का निर्देशन, परिचालन, एवं क्रियान्वयन । उर्वरक, बीज, कीटनाशक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना । कृषि से संबंधित कृषकों की समस्याओं का समाधान ।
2	तकनीकी शाखा ( सहायक संचालक कृषि )	नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का परिपालन, कृषकों को तकनीकी जानकारी प्रदान करना, विकासखण्ड स्तर पर गतिविधियों का पर्यवेक्षण
3	लेखा / स्थापना / आवक जावक ( मुख्य लिपिक)	लेखा बजट तैयार करना, प्रतिवेदन एवं अन्य देयकों का भुगतान, आय-व्यय पत्रक, केषबुक, लेजर संधारण, व्यक्तिगत नस्ती संधारण, सेवा पुस्तिका, पेंशन प्रकरण, अवकाश लेखाजोखा, जी.पी.एफ., जीआईएस एवं आवक जावक

## बिन्दु कमांक – 3 विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ?

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ कृषकों तक पहुँचाना :-

1. भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग संबंधी लोक कल्याण की योजनाओं के माध्यम से कृषकों को लाभांशित किया जाकर योजना के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ करना ।
2. शासन से प्राप्त अनुदान एवं अनुदान निधियों का नियमानुसार संधारण एवं वितरण ।
3. शासन द्वारा सौंपी गई योजनाओं का क्रियान्वयन ।
4. शासन द्वारा सौंपी गई योजनाओं अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाकर उनको लाभांशित करना ।
5. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का सतत् मूल्यांकन तथा निरीक्षण ।
6. संगठनात्मक ढांचा :-

राज्य शासन :-

प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

संचालनालय स्तर :-

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

संभाग स्तर :-

संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

जिला स्तर :-

उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

उपसंभाग स्तर:-

1-अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

2-सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी

खण्ड स्तर :-

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी

7. शिकायतों का निराकरण :- प्राप्त शिकायतों का उचित माध्यम से निराकरण किया जाता है ।

8. अधिनस्त कार्यालयों के पते :-

- 1-उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास देहात थाना के पास विदिशा
- 2-अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, कृषि परिसर विदिशा
- 3-अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, बरेठ रोड बासौदा
- 4-अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, तहसील रोड सिरोंज
- 5-सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उपसंभाग विदिशा जेल रोड विदिशा
- 6-सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी नदी घाटी विदिशा बिजलीघर के सामने विदिशा
- 7-सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उपसंभाग सिरोंज, तहसील रोड सिरोंज
- 8-वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड विदिशा, जनपद परिसर विदिशा
- 9-वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड ग्यारसपुर, जनपद परिसर ग्यारसपुर
- 10-वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड बासौदा, जनपद परिसर बासौदा
- 11-वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड नटेरन, बस स्टेण्ड के पास नटेरन

- 12—वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड सिरोंज, जनपद परिसर सिरोंज  
 13—वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड कुरवाई, जनपद परिसर कुरवाई  
 14—वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड लटेरी, जनपद परिसर लटेरी

9. कार्यालय खुलने एवं बन्द होने का समय

खुलने का समय :- प्रातः 10:30 बजे

बन्द होने का समय :- शाम 05:30 बजे

**बिन्दु कमांक – 4 अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान :-**

शासन द्वारा प्रदत्त नियमों एवं निर्देशनों के अधीन कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

**बिन्दु कमांक – 5 अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिक और अभिलेख ?**

शासन द्वारा प्राप्त नियम निर्देश अनुसार कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

**बिन्दु कमांक – 6 ऐसे दस्तावेज के जो उसके द्वारा धारित नियंत्रणाधीन प्रवर्गों का विवरण ?**

शासन द्वारा प्रदत्त नियमों एवं निर्देशनों के अधीन कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

क्र.	नाम	पदनाम	संधारित अभिलेख
1	श्री डी0के0 गुप्ता	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	भूमि संरक्षण, योजनाओं से संबंधित समस्त कार्य, उर्वरक गुण नियंत्रण, जिला स्तरीय उर्वरक कीटनाशक लघु इकाईयों का निरीक्षण कार्य, नमूना लेना, समस्त बैठकों का क्रियान्वयन, एम0पी0डब्ल्यू एसआरपी योजना कार्य एवं सूचना का अधिकार संबंधी नस्ती संधारण
2	श्री सी0एस0 मर्सकोले	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	जैविक खेती, बायोगैस, मिट्टी परीक्षण, नाडेप, वर्मी कम्पोस्ट, गोवंश संवर्धन, बलराम ग्राम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के जैविक घटक संबंधी नस्ती संधारण
3	श्री बी0एल0 कीर	मुख्य लिपिक	लेखा संबंधी समस्त कार्य एवं संबंधी नस्ती संधारण

क.	नाम	पदनाम	संधारित अभिलेख
4	श्री दीपक दुबे	सहा0ग्रेड-2	लेखा संबंधी समस्त कम्प्यूटर कार्य, विभागीय वेबसाईड पर जानकारी अपलोड करना ।
5	श्री जलील खान	सहा0ग्रेड-3	लेखा शाखा सहायक के रूप में मुख्य लिपिक के मार्गदर्शन में कार्य सम्पादन
6	श्रीमति नीला सिंह	सहा0ग्रेड-3	स्थापना शाखा संबंधी समस्त कार्य एवं समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की व्यक्तिगत नस्ती एवं समस्त नस्ती संधारण
7	श्री राजेन्द्रसिंह पवार	सहा0ग्रेड-3	स्टोर शाखा संबंधी समस्त कार्य, जावक शाखा संबंधी समस्त कार्य
8	श्री दिनेश तिवारी	जिला सलाहकार एन. एफ.एस.एम.	पौध संरक्षण संबंधी, आर.के.वी.वाय., अभियांत्रिकी एवं समस्त उन्नत कृषि यंत्रों, मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, विदेश अध्ययन यात्रा, मापवा, प्रचार-प्रसार, मेला, प्रशिक्षण संबंधी, बीज, कीटनाशक औषधी लायसेंस जारी करने संबंधी कार्य एवं नस्ती संधारण
9	श्री हेमराज दांगी	तकनीकी सहायक, एन. एफ.एस.एम.	एन0एफ0एस0एम0, एन0एम0ओ0ओ0पी, योजनाओं संबंधी कार्य एवं नस्ती संधारण
10	श्री घनश्याम दांगी	तकनीकी सहायक, एन. एफ.एस.एम.	उर्वरक संबंधी समस्त कार्य, उर्वरक लायसेंस जारी करना, संबंधी कार्य एवं नस्ती संधारण
11	श्री कृष्णमुरारी श्रीवास्तव	भृत्य	आवक शाखा संबंधी कार्य, टेलीफोन पर ड्यूटी

**बिन्दु कमांक – 7** किसी व्यवस्था की विशिष्टियों जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये उनके अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है ?

नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि के परामर्श एवं भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है । योजना के क्रियान्वयन हेतु कृषि स्थाई समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक – 8 ऐसे बोर्डों समितियों और निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों परिषदों, समितियों और न्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्य वृत्त तक जनता की पहुँच होगी विवरण दें ?

विभाग में निम्नानुसार समितियाँ गठित/प्रस्तावित हैं :-

1- प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति :- समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं :-

1- जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
3- वनमण्डल अधिकारी	सदस्य
4- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	सदस्य सचिव
5- उप संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य
6- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	सदस्य
7- कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य
8- सहायक भू-जल विद	सदस्य
9- जिला लीड बैंक आफीसर	सदस्य
10- प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा	सदस्य
11- कलेक्टर द्वारा नामांकित, दो प्रगतिशील कृषक (आत्मा के अन्तर्गत जिला सलाहकार समिति के सदस्यों में से)	सदस्य
12- कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले में सक्रिय अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि	सदस्य

1- नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिला मिशन समिति :- समिति मे निम्नानुसार सदस्य है :-

1- जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	सदस्य सचिव
3- परियोजना संचालक आत्मा गवर्निंग बोर्ड	सदस्य
3- उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं	सदस्य
4- सहायक संचालक, उद्यान	सदस्य
5- सहायक संचालक मत्स्योद्योग	सदस्य
6- सहायक संचालक रेशम	सदस्य
8- लीड बैंक आफिसर	सदस्य
9- वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय बासौदा	सदस्य
10- सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति	सदस्य
11- प्रगतिशील कृषक	सदस्य

**बिन्दु कमांक – 9 अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका**

जानकारी निम्नानुसार है :-

नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	दूरभाष		आवास का पता
		कार्यालय	निवास	
श्री बी0एल0 पाठक	उप संचालक कृषि	07592233153	07592234324	ब्लाक कालोनी, विदिशा
श्री एन0पी0 प्रजापति	सहायक संचालक कृषि	07592233153		तखतमल कालोनी विदिशा
श्री डी0के0 गुप्ता	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	07592233153		कृष्णा कालोनी विदिशा
श्री सी0एस0 मर्सकोले	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	07592233153		बालाजीपुरम विदिशा
श्री बी0एल0 कीर	मुख्य लिपिक	07592233153		दुर्गानगर विदिशा
श्री दीपक दुबे	सहा0ग्रेड-2	07592233153		मुखर्जी नगर विदिशा
श्री जलील खान	सहा0ग्रेड-3	07592233153		ढलकपुरा विदिशा
श्रीमति नीला सिंह	सहा0ग्रेड-3	07592233153		जेल रोड विदिशा
श्री राजेन्द्रसिंह पवार	सहा0ग्रेड-3	07592233153		टीलाखेडी विदिशा
श्री दिनेश तिवारी	जिला सलाहकार एन.एफ.एस.एम.	07592233153		दुर्गानगर विदिशा
श्री हेमराज दांगी	तकनीकी सहायक, एन.एफ.एस.एम.	07592233153		दुर्गानगर विदिशा
श्री घनश्याम दांगी	तकनीकी सहायक, एन.एफ.एस.एम.	07592233153		अरिहन्त बिहार विदिशा
श्री कृष्णमुरारी श्रीवास्तव	भृत्य	07592233153		राजीव नगर विदिशा

बिन्दु कमांक – 10 अपने प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में उपबंधित हो

अधिकारी/कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित स्वीकृत वेतनमान अनुसार निम्नानुसार मासिक वेतन प्रदाय किया जा रहा है :-

क0	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक
	श्री बी0एल0 पाठक	उप संचालक कृषि	33420+7600+डी.ए.
	श्री एन0पी0 प्रजापति	सहायक संचालक कृषि	17270+5400+डी.ए.
	श्री डी0के0 गुप्ता	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	20500+4200+डी.ए.
	श्री सी0एस0 मर्सकोले	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	14750+3600+डी.ए.
	श्री बी0एल0 कीर	मुख्य लिपिक	13950+2800+डी.ए.
	श्री दीपक दुबे	सहा0ग्रेड-2	11720+2800+डी.ए.
	श्री जलील खान	सहा0ग्रेड-3	11480+2800+डी.ए.
	श्रीमति नीला सिंह	सहा0ग्रेड-3	10840+2800+डी.ए.
	श्री राजेन्द्रसिंह पवार	सहा0ग्रेड-3	9000+1900+डी.ए.
	श्री दिनेश तिवारी	जिला सलाहकार एन.एफ.एस.एम.	31800
	श्री हेमराज दांगी	तकनीकी सहायक, एन.एफ.एस.एम.	21800
	श्री घनश्याम दांगी	तकनीकी सहायक, एन.एफ.एस.एम.	21800
	श्री राजकुमार शर्मा	वाहनचालक	12610+2800+डी.ए.
	श्री घासीराम	भृत्य	9470+1800+डी.ए.
	श्री राजेश ठाकुर	भृत्य	8570+1400+डी.ए.
	श्री दुलीचंद	भृत्य	8910+1800+डी.ए.
	श्री कृष्णमुरारी श्रीवास्तव	भृत्य	5740+1300+डी.ए.
	श्री सुमेर सहरिया	भृत्य	4750+1300+डी.ए.

बिन्दु कमांक – 11 सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों एवं किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

समय-समय पर शासन द्वारा विभागीय योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय तिलहन मिशन, बलराम तालाब योजना, हलधर योजना, एन0एस0एम0ए0 आर0ए0डी0, नलकूप खनन, राज्य माइक्रो इरीगेशन, बीज ग्राम योजना, कृषि यंत्रीकरण, मापवा आदि योजनाओं में आवण्टन प्रदाय किया जाता है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कृषकों को अनुदान का वितरण किया जाता है एवं प्रशिक्षण आयोजन कराये जाकर व्यय सुनिश्चित किया जाता है ।

**बिन्दु कमांक – 12 सहायको कार्यकर्मों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यकर्मों के फायदा ग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है**

विभागीय योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय तिलहन मिशन, बलराम तालाब योजना, हलधर योजना, एन0एस0एम0ए0 आर0ए0डी0, नलकूप खनन, राज्य माइक्रो इरीगेशन, बीज ग्राम योजना, कृषि यंत्रीकरण, मापवा आदि योजनाओं मे प्राप्त लक्ष्यों के अनुरूप उनका विकासखण्डवार विभाजन किया जाकर लक्ष्य वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को आवण्टित किये जाते है । वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों द्वारा लक्ष्यों का पंचायती राज व्यवस्था अन्तर्गत अनुमोदित कराये जाकर कृषकों को लाभांवित किया जाता है ।

**बिन्दु कमांक – 13 अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों, या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ**

विभागीय योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,

**बिन्दु कमांक – 14 किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के संबंध मे ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो ?**

विभिन्न फसलों की कृषि कार्यमाला, विभागीय योजनाओं के दिशा निर्देश, लाभांवित कृषकों की जानकारी <http://www.mpkrishi.org> की पर संधारित है, जो सर्वसाधारण के लिये उपलब्ध है ।

**बिन्दु कमांक – 15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं की विशिष्टियाँ जिनमे किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं ?**

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिये विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

1. कृषकों की सुविधा हेतु जिला कार्यालय एवं सभी अधिनस्थ कार्यालयों मे कृषि संबंधी एवं योजनाओं से संबंधित साहित्य उपलब्ध है, जिसे कृषक प्राप्त कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं ।
2. विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों मे विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदाय की जाती है ।



3. विभाग द्वारा समय-समय पर लगाये जाने वाले मेला मे पर्याप्त मात्रा मे कृषकों को साहित्य उपलब्ध कराया जाता है ।
4. कृषि महोत्सव कार्यक्रम अन्तर्गत किसानों को वैज्ञानिकों के द्वारा तकनीकी ज्ञान दिया जाता है एवं साहित्य उपलब्ध कराया जाता है ।
5. विदेश भ्रमण/राज्य से बाहर/राज्य के अन्दर कृषकों को लक्ष्यानुसार भ्रमण कराया जाकर कृषि की वैज्ञानिक एवं नवीन पद्धतियों से कृषकों रूबरू कराया जाता है ।
6. अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था ।
7. विभागीय वेबसाईड
8. अन्य प्रचार-प्रसार के साधन, बोर्ड आदि ।

**बिन्दु कमांक – 16 लाक सूचना अधिकारी का नाम पद/पदनाम अन्य विशिष्टियों ?**

जानकारी निम्नानुसार है :-

लोक सूचना अधिकारी :-

श्री एन0पी0 प्रजापति, सहायक संचालक कृषि कार्यालय  
उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला  
विदिशा

सहायक लोक सूचना अधिकारी-

श्री डी0के0 गुप्ता, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी  
कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि  
विकास जिला विदिशा

अपीलीय अधिकारी :-

श्री बी0एल0 पाठक, उप संचालक, किसान कल्याण तथा  
कृषि विकास, जिला विदिशा

## बिन्दु क्रमांक – 17 ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये

जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं ?	वर्तमान में निम्नानुसार योजनाएँ संचालित की जा रही हैं :- <ol style="list-style-type: none"> <li>1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन</li> <li>2. राष्ट्रीय तिलहन मिशन</li> <li>3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</li> <li>4. एन0एम0एस0ए0 योजना</li> <li>5. सबमिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (कृषि यंत्रीकरण)</li> <li>6. स्वायत्त हेल्थ कार्ड योजना</li> <li>7. प्रधानमंत्री सिंचाई योजना</li> <li>8. मापवा योजना</li> <li>9. बलराम तालाब योजना</li> <li>10. मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना</li> <li>11. विदेश अध्ययन यात्रा योजना</li> <li>12. बायोगैस योजना</li> <li>13. राज्य माईको इरीगेशन योजना</li> <li>14. राज्यपोषित नलकूप खनन योजना</li> <li>15. अन्नपूर्णा योजना</li> <li>16. सूरजधारा योजना</li> <li>17. हलधर योजना</li> </ol>
2	योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?	योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा के माध्यम से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

सूचना प्राप्त करने के संबंध में :-

1. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में किया जावे ।
2. शुल्क आवेदन पत्र के साथ 10/- रु0 नगद या नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के रूप में (बी0पी0एल0 परिवार के आवेदक को यह शुल्क देय नहीं है )
3. जानकारी न दिये जाने की स्थिति में निर्धारित अवधि पश्चात अपील करने का हकदार रहेगा, तथा अपीलीय अधिकारी उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा को अपीलीय आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

उप संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
जिला विदिशा